**भारत सरकार**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 60**

**17.07.2017 को उत्‍तर के लिए**

**खुले बाजारों में मवेशी व्‍यापार**

**60. श्री नीरज शेखर :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क ) क्‍या मंत्रालय ने देश भर में खुले बाजारों में मवेशी व्‍यापार के संबंध में कोई अधिसूचना जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इसके कारण तथा औचित्‍य क्‍या हैं;

(ग) क्‍या सरकार ने पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाजार का विनियमन) नियम, 2017 की अधिसूचना जारी करने से पहले किसानों सहित विभिन्‍न पक्षकारों पर इसके प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**

**(डॉ. हर्ष वर्धन)**

(क) से (घ) भारत सरकार द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम (पशुधन बाजार का विनियमन) नियम, 2017 दिनांक 23.05.2017 को अधिसूचित किये गए थे। इन नियमों का मूल प्रयोजन पशुओं के कल्‍याण को सुनिश्चित करना और उनके आवास, चारा, जल की आपूर्ति, पशु चिकित्‍सीय देखभाल, पशु बाजार में उचित जल निकासी इत्‍यादि के लिए पर्याप्‍त सुविधाओं को सुनिश्चित करना तथा पशुओं की गैर-कानूनी बिक्री और तस्‍करी की संभावना को समाप्‍त करना था।

 भारत के माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय में 2017 की एक रिट याचिका (सिविल) संख्‍या 000422 जिसका शीर्षक ''अखिल भारतीय जमीयतुल कुरैश कार्यवाही समिति द्वारा इसके अध्‍यक्ष मोहम्‍मद अब्‍दुल फहीम, अधिवक्‍ता, बनाम भारत संघ'' था, फाइल की गई। भारत के माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने अपने आदेश दिनांक 11.07.2017 के माध्‍यम से टिप्‍पणी की कि रिट याचिका (एमडी) संख्‍या 7769 और 7771 और 10128 और 10129 में इन नियमों के प्रवर्तन पर मद्रास उच्‍च न्‍यायालय की मदुरै न्‍यायपीठ के आदेश दिनांक 30.05.2017 द्वारा दिए गए स्‍थगन आदेश पूरे देश पर लागू होंगे। इस प्रकार, भारत के माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2017 की अधिसूचना के प्रवर्तन पर रोक लगा दी गयी है।

 माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने इस मामले को यह टिप्‍पणी करते हुए निपटा दिया है कि ''यह मामला वर्तमान में पर्यावरण और वन मंत्रालय के विचाराधीन है और उपयुक्‍त अवधारणा के पश्‍चात् परिवर्तन, यदि कोई हों, जिन्‍हें उपयुक्‍त समझा जाए, लाए जाएंगे, जिसके पश्‍चात् संशोधित नियमों को पुन: अधिसूचित किया जाएगा।

हमारा यह मत है और तदनुसार, निदेश देते हैं कि जैसे और जब संशोधित नियम अधिसूचित किये जाएंगे, तो उनको क्रियान्वित करने से पहले सभी हितधारकों को पर्याप्‍त समय दिया जाएगा ताकि, यदि वे व्‍यथित हों, तो नियम के अनुसार उनका विरोध करने के लिए उन्‍हें पर्याप्‍त अवसर मिल सके।''

\*\*\*\*\*\*